## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to Legislative Assembly of Rajasthan State from the 6-Anupgarh (SC) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

## Smt. SHIMLA DEVI

Address Ward No. 06, Amar Colony New Mandi Gharsana, Dist. Anupgarh (Raj.)

Sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place **Sriganganagar**Date **03/12/2023** 

(Sumitra Bishnoi RAS)
Returning Officer
6-Anupgarh (SC)

## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा 6-अनूपगढ़ (अजा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि -

श्रीमती शिमला देवी

पता वार्ड नं. 06, अमर कॉलोनी नई मण्डी घड़साना, जिला अनूपगढ़ (राज.)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़ी की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है।

स्थान : श्रीगंगानगर

दिनांक: 03/12/2023

(सुमित्रा बिश्नोई RAS) रिटर्निंग अधिकारी

6-अनूपगढ़ (अजा.)